न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 402 / 2018 (129 / 2016)
दायर दिनांक :– 21.07.2016

अनवान

1. श्रीमति शांति बेवा भैरू गुर्जर नि. बरोदा तहसील जहाजपुर
2. श्री हरिओम पिता भैरू गुर्जर ना. व वि माता शांति देवी पत्नि भैरू गुर्जर नि. बरोदा
3. श्री धन्ना पिता भैरू गुर्जर ना. व वि माता शांति देवी पत्नि भैरू गुर्जर नि. बरोदा
4. सुश्री गायत्री पिता भैरू गुर्जर ना. व वि माता शांति देवी पत्नि भैरू गुर्जर नि. बरोदा
5. सुश्री वसुन्धरा पिता भैरू गुर्जर ना. व वि माता शांति देवी पत्नि भैरू गुर्जर नि. बरोदा

वादीगण..........

बनाम

1. श्री गंगाराम पिता श्रीराम गुर्जर नि. बरोदा तहसील जहाजपुर
2. श्री रामलाल पिता श्रीराम गुर्जर नि. बरोदा तहसील जहाजपुर
3. श्री सत्यनारायण पिता श्रीराम गुर्जर नि. बरोदा तहसील जहाजपुर
4. सुश्री गंगा पिता श्रीराम गुर्जर नि. बरोदा तहसील जहाजपुर
5. सुश्री सुमित्रा पिता श्रीराम गुर्जर नि. बरोदा तहसील जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर
7. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा शक्करगढ तहसील जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री छीतर लाल रेगर, वकील वादीगण
2. श्री नारायण लाल शर्मा, वकील प्रतिवादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 10.12.2019

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम बरोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 979 / 848 रकबा 04.00 बीघा, आ.न 980 / 848 रकबा 05. 00 बीघा कुल किता 02 रकबा 09.00 बीघा वादीगण की खातेदारी की व कब्जे काश्त की है। तथा आराजी नं. 979 / 848 के पुराने ख.न. 848 व 848 / 4छ व 980 / 848 के पुराने ख. न. 848 / 4ख थे। ग्राम बरोदा प.ह. बरोदा में आ.न. 938 / 848 रकबा 5.00 बीघा व 939 / 848 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा जिसके प्रतिवादी सं. 1 से 5 खातेदार काश्तकार है। चरण सं. 1 में वर्णित भूमि ख.न. 848 मे से जरिये आंवटन मिसल सं. 1266 / 66 में से 5 बीघा जरिये आंवटन मिसल सं. 2285 / 83 मे 4 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बीघा जमीन मोडा पिता मांगू गुर्जर के नाम आवंटन हुई थी। व उक्त कृषि जमीन की नियमानुसार मिसल तैयार करके मोडा पिता मांगू गुर्जर को सिपुर्द कर कब्जा संभलाया था तथा अलोटमेन्ट मिसल माफिक आराजी सं. 838 के नक्शा के दक्षिण दिशा में मोडा पिता मांगू गुर्जर को वाद पत्र की चरण सं 1 मे वर्णित कृषि जमीन सिपुर्द की थी तथा अलोटमेन्ट मिसल में भी नक्शा ट्रेस दर्शा रखा है वह भी आ.न. 838 के बदिशा दक्षिण में दर्शा रखा है। परन्तु तत्कालीन प. ह. ने वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि का माफिक आंवटन मिसल के आधार पर कब्जा सिपुर्द कर दिया था परन्तु लट्ठा सीट में तरमीम नही किया गया जबकि उक्त कृषि जमीन गैर खातेदार से खातेदारी मे दर्ज होकर वर्तमान में वादीगण खातेदार काश्तकार हैं लट्ठा सीट में तरमीम नही होने की वजह से प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने नाजायज फायदा उठाकर प. ह. से मिलीभगत करके वादीगण के कब्जा शुदा कृषि जमीन

की जगह प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने तरमीम करवाली, तरमीम करवाने के पश्चात प्रतिदीगण वादीगण के कब्जा काश्त में व्यवधान पैदा करने लग गए व लडाई झगडा करने लग गये व वादीगण के कब्जा से बेदखल करने पर उतारू होने लगे तक वादीगण ने पटवार हल्का से जानकारी करने पर मालूम हुआ कि खातेदारी कृषि जमीन तरमीम नही हैं इसलिये माफिक आवंटन मिसल में दर्ज नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व लट्ठा सीट में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 की तरमीम को विलोपित कर वादीगण के खातेदारी कृषि जमीन को लट्ठा सीट में तरमीम करने की घोषणात्मक डिकी जारी किया जाना एवं वादीगण के कब्जा काश्त में प्रतिवादी स. 1 से 5 बाधा न डाले न डलावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी किया जाना आवश्यक एव न्याय संगत है। चरण सं. 1 में वर्णित भूमि को माफिक आवंटन मिसल मे दर्ज नक्शा ट्रेस आ.न. 838 के बदिशा दक्षिण मे राजस्व लट्ठा सीट में तरमीम करने की घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण प्रदान कराये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त कर शा0 फा0 किये गये। प्रतिवादी स. 1 से 5 की और से श्री नारायण लाल शर्मा, एडवोकेट का अधिकार पत्र पेश हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने वाद पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की एव नकल नक्शा ट्रेस, मिसल नं. 1266/66 एव 2285/83 आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण की खातेदारी भुमि नक्शे में तरमीम नही है। जिसकी ताईद प्रस्तुत तहसीलदार रिपोर्ट से होती है। ग्राम बरोदा प. ह. बरोदा की आ. न. 979/848 रकबा 04.00 बीघा, आ.न 980/848 रकबा 05.00 बीघा कुल किता 02 रकबा 09.00 बीघा जो की वादीगण की खातेदारी भुमि एवं ग्राम बरोदा में आ.न. 938/848 रकबा 5.00 बीघा व 939/848 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा जो प्रतिवादी स. 1 से 5 की खातेदारी भुमि है। प्रतिवादीगण गंगाराम व अन्य को उसकी अन्य आराजी से लगते हुये एवं मकान व कुआ के पास की भुमि 9.00 बीघा को प्रतिवादीगण के तरमीम किया जाना तथा अन्य 9.00 बीघा भुमि को वादीगण को नक्शे में तरमीम किया जाना उचित है। जिससे वादीगण के वादपत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम बरोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर की आ. न. 979/848 रकबा 04.00 बीघा, आ.न 980/848 रकबा 05.00 बीघा कुल किता 02 रकबा 09.00 बीघा वादीगण की खातेदारी भुमि एवं ग्राम बरोदा प.ह. बरोदा में आ.न. 938/848 रकबा 5.00 बीघा व 939/848 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा जो प्रतिवादी स. 1 से 5 की खातेदारी भुमि को पुर्व में की गई तरमीम को निरस्त कर नये सिरे से प्रतिवादीगण गंगाराम को उनके मकान व कुआ के पास की भुमि 9.00 बीघा को प्रतिवादीगण के तरमीम की जावे। तथा शेष भु भाग पर 9.00 बीघा को वादीगण की खातेदारी भुमि को नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

अज अदालत – सहायक कलक्टर मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

ब ईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस

अनवान

1. श्रीमति शांति बेवा भैरू गुर्जर नि. बरोदा तहसील जहाजपुर
2. श्री हरिओम पिता भैरू गुर्जर ना. व वि माता शांति देवी पत्नि भैरू गुर्जर नि. बरोदा
3. श्री धन्ना पिता भैरू गुर्जर ना. व वि माता शांति देवी पत्नि भैरू गुर्जर नि. बरोदा
4. सुश्री गायत्री पिता भैरू गुर्जर ना. व वि माता शांति देवी पत्नि भैरू गुर्जर नि. बरोदा
5. सुश्री वसुन्धरा पिता भैरू गुर्जर ना. व वि माता शांति देवी पत्नि भैरू गुर्जर नि. बरोदा

वादीगण.........

बनाम

1. श्री गंगाराम पिता श्रीराम गुर्जर नि. बरोदा तहसील जहाजपुर
2. श्री रामलाल पिता श्रीराम गुर्जर नि. बरोदा तहसील जहाजपुर
3. श्री सत्यनारायण पिता श्रीराम गुर्जर नि. बरोदा तहसील जहाजपुर
4. सुश्री गंगा पिता श्रीराम गुर्जर नि. बरोदा तहसील जहाजपुर
5. सुश्री सुमित्रा पिता श्रीराम गुर्जर नि. बरोदा तहसील जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर
7. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा शक्करगढ तहसील जहाजपुर

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 88, 89 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 402 / 2018 (129 / 2016)

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री नारायण लाल शर्मा का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है की ग्राम बरोदा प. ह. बरोदा तहसील जहाजपुर की आ. न. 979 / 848 रकबा 04.00 बीघा, आ.न 980 / 848 रकबा 05.00 बीघा कुल किता 02 रकबा 09.00 बीघा वादीगण की खातेदारी भुमि एवं ग्राम बरोदा प.ह. बरोदा में आ.न. 938 / 848 रकबा 5.00 बीघा व 939 / 848 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा 9 बीघा जो प्रतिवादी सं. 1 से 5 की खातेदारी भुमि को पुर्व में की गई तरमीम को निरस्त कर नये सिरे से प्रतिवादीगण गंगाराम को उनके मकान व कुआ के पास की भुमि 9.00 बीघा का प्रतिवादीगण के तरमीम की जावे। तथा शेष भु भाग पर 9.00 बीघा को वादीगण की खातेदारी भुमि को नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.12.2019

मुहर

(उम्मेद सिंह राजावत)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2019.12.18 14:17:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: